न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 24 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/21)
पंजीयन दिनांक– 04.02.2021
निर्णय दिनांक– 16.02.2021

1. श्री राजेन्द्रपुरी पुत्र स्व.श्री तख्तपुरी गोस्वामी, निवासी म.न.99, प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़।
2. श्री कमलपुरी पुत्र स्व.श्री तख्तपुरी गोस्वामी, निवासी म.न.99, प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़।
3. श्री गगनपुरी पुत्र स्व.श्री तख्तपुरी गोस्वामी, निवासी म.न.99, प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़।
4. श्रीमती हेमलता पुत्री स्व.श्री तख्तपुरी गोस्वामी, निवासी म.न.99, प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़।
5. श्रीमती किरणदेवी पुत्री स्व.श्री तख्तपुरी गोस्वामी, निवासी म.न.99, प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़।
6. श्रीमती वीना पुत्री स्व.श्री तख्तपुरी गोस्वामी, निवासी म.न.99, प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्स

बनाम

राज्य सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार, चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट

उपस्थितिः–
1. श्री सुरेशपुरी गोस्वामी – अधिवक्ता अपीलांट्स
2. राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण
संख्या–06 / 2019 निर्णय दिनांक 24.06.2019

निर्णय

दिनांक 16.02.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़

के प्रकरण संख्या 06/2019 निर्णय दिनांक 24.06.2019 के विरूद्ध दिनांक 04.10.2020 को मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को पेश की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 04.02.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट श्री राजेन्द्रपुरी पिता स्व.श्री तख्तपुरी गोस्वामी, निवासी चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या–1/2019 निर्णय दिनांक 05.04.2019 व माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के रिट पीटीषन संख्या–1146/2017 के सम्बन्ध में तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ समक्ष प्रार्थना पत्र मय उसके पिता तख्तपुरी पिता श्री लक्ष्मणपुरी द्वारा दिनांक 30.05.1967 को जरिये पंजीकृत दस्तावेज के द्वारा श्री लक्ष्मणपुरी पिता श्री लालपुरी से आराजी नम्बर 1605/1ख में से 80 गुणा 80 कुल 6400 वर्गफीट कृषि भूमि क्रय की, जिसकी प्रति संलग्न करते हुए निवेदन किया कि श्री तख्तपुरी का स्वर्गवास दिनांक 18.06.2007 को हो गया एवं हम सभी (अपीलांट–1 से 6) उनके वारिस है। उक्त निर्णय से हमारे पुश्तैनी हिस्से में हमारा नाम विरासत से दर्ज करने का आदेश पारित किया जा चुका है किन्तु क्रयशुदा भुखण्ड का रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तरकरण खोलना शेष रह गया है। अतः श्री तख्तपुरी द्वारा क्रयशुदा भूमि वर्तमान आराजी नम्बर 2516 रकबा 0.45 है. में से हम वारिसान के नाम नामान्तकरण खोला जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायलय द्वारा प्रकरण संख्या 06/2019 निर्णय दिनांक 24.06.2019 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 24.06.2019 से निम्नानुसार निर्णय पारित हैः– ***''इस न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार निर्णय पारित किया जाकर नामान्तरकरण की कार्यवाही***

की जा चुकी है। इस न्यायालय को पूर्व में पारित किये गये नामान्तरकरण आदेश के सम्बन्ध में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त नहीं होने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।''

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से श्री सुरेशपुरी गोस्वामी उपस्थित व रेस्पोडेंट की ओर राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 11.02.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही पूर्व में मूल आदेश दिनांक 05.04.2019 प्रकरण संख्या–01/2019 जो कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित रिट पीटीशन संख्या–1146/2017 निर्णय दिनांक 07.02.2019 की पालना में निर्णय पारित कर दिया गया और मात्र उक्त पारित निर्णय की पालना हेतु तहरीर आदेश हल्का पटवारी चित्तौड़गढ़ को प्रेषित किया जा चुका था। उक्त निर्णय के पृष्ठ संख्या–10 के अंतिम पैरा प्रविष्ठि की पालना मात्र शेष रही। किन्तु उक्त आदेश का विधिसंगत अवलोकन किये ही यानि स्वयं द्वारा पारित आदेश को नजरअंदाज करते हुए विधिक प्रावधानों से परे माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पूर्ण पालना न कर अपितु रेस्पोडेंट स्वयं द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.04.2019 की पालना न करते हुए चुनौतीग्रस्त आदेश आज नये सिरे से मात्र अधिकारियों के स्थानान्तरण हो जाने से नव प्रभारी नियुक्त विद्वान वरिष्ठ अधिकारी द्वारा चुनौतीग्रस्त आदेश पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त फरमाये जाने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा क्रयशुदा भुखण्ड का रजिस्टर्ड विलेख के आधार पर नामान्तरण खोलने हेतु तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया

गया जो निरस्त किया गया जो अविधिक है। उक्त अपील पारित चुनौतीग्रस्त निर्णय दिनांक 24.06.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की क्योंकि मूल पारित निर्णय प्रकरण संख्या–01/2019 दिनांक 05.04.2019 रेस्पोडेंट द्वारा ही पारित किया गया है जो अपीलान्ट के पक्ष में निर्णित हुआ है, ऐसी दशा में मयाद के प्रावधान प्रभावी नहीं होते है। उपरोक्त परिस्थितियों के मध्यनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 24.06.2019 अपास्त फरमाया जाकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में राजस्व अभिलेखों में अपीलान्ट का नाम नामान्तरण दर्ज फरमाये जाने का आदेश पारित फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायलय द्वारा पूर्ण तार्किक निर्णय पारित किया जिसमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावें।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.02.2019 की अपील अपीलाण्ट द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 04.10.2020 को पेशी की है तथा अंदर मियाद अपील प्रस्तुत नहीं किये जाने के लिए दफा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन व शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलाण्ट को कानूनी ज्ञान नहीं होने एवं अपीलाण्ट संख्या 1 के परिवार का कर्ता–धर्ता रहा और वायुसेवा से सेवानिवृत होकर अधिकांश समय अपने पुत्र के साथ बाहर निवासरत था, जिसे वरिष्ठ नागरिक होने से व अपने अधिवक्ता से समय पर सम्पर्क नहीं कर पाने के कारण नियत अवधि में अपील प्रस्तुत नहीं कर सका। ताइद में शपथ–पत्र भी दिया है। न्यायहित में मियाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अब हम अपील में गुणावगुण पर विवेचन करना उचित समझते है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लक्ष्मणपुरी पिता लालपुरी से अपने पिता तख्तपुरी व लक्ष्मणपुरी द्वारा आराजी नं0

1605/1–ख में से दिनांक 30.05.67 को 6400 वर्गफीट भूमि क्रय किये जाने के कारण उसका नामान्तकरण दर्ज किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि इस प्रकरण में विवादित आराजीयात अवाप्ति के प्रक्रियाधीन होने के बाद अवाप्ति निरस्त होने के बाद माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में हितधारकों के नाम दर्ज किये जाने के आदेश हुए थे। उक्त आदेशों के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.04.2019 को अन्य आराजीयात के साथ विवादित आराजी बाबत् भी नामान्तकरण पुनः हितधारियों के नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा अपीलाण्ट के आवेदन पर अपने निर्णय दिनांक 24.06.2019 जो कि अपीलाधीन है, उसमें यह स्वीकार किया है कि प्रस्तुत विक्रय–पत्र लक्ष्मणपुरी द्वारा तख्तपुरी के पक्ष में दिनांक 31.05.67 को निष्पादित किया गया है तथा यहां पर यह भी उल्लेख किया गया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार निर्णय पारित किया जाकर नामान्तकरण की कार्यवाही की जा चुकी है। इस न्यायालय के पूर्व में पारित किये गये नामान्तकरण आदेश के संबंध में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त प्रेक्षणों के साथ अपीलाण्ट के आवेदन को खारिज किया जाना कदापि स्पीकिंग आदेश नहीं है। जब अधीनस्थ न्यायालय यह स्वीकार करता है कि अपीलाण्ट के पिता द्वारा लक्ष्मणपुरी से भूमि का विक्रय–पत्र निष्पादित किया गया है तो अब उसका नामान्तकरण पूर्व में उनके किये गये निर्णय दिनांक 05.04.2019 के आधार पर अब उक्त विक्रय के आधार पर नामान्तकरण नहीं खेले जाने का बिना स्पीकिंग आदेश पारित करना चाहिये था। यहां प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 05.04.2019 में वर्णितानुसार साबिक आराजी नं0 1605/1–ख जिसका रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा था, उससे वर्तमान में आराजी नं0 2515 एवं 2516 बनी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05.04.2019 में उक्त आराजी नं0 2515 व

2516 में विक्रय के आधार पर कतिपय पक्षकारों के नाम नामान्तकरण दर्ज किये जाने का आदेश दिया है। वर्तमान अपीलाण्ट के पिता क्रेता तख्तपुरी के नाम उक्त विक्रय–पत्र दिनांक 31.05.67 के आधार पर नामान्तकरण क्यों नहीं दर्ज हो सकता, क्या विवादित आराजी/ रकबा में भूमियां अवशेष नहीं है, स्वत्वविहिन नामान्तकरण किया गया है अथवा विक्रय–पत्र किस प्रकार अमान्य है, इस बाबत् विवेचन किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय नोन–स्पीकिंग है। अधीनस्थ न्यायालय को उक्त विक्रय–पत्र को मान्यता नहीं दिये जाने व अपने पूर्व के निर्णय के क्रम में यह विक्रय–पत्र किस प्रकार क्रियान्विति योग्य नहीं है, इस बाबत् विवेचन किये बिना निर्णय पारित किया है, जो उचित नहीं है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है, अतएवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में सर्व संबंधित पक्षकारों को सुनकर हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 05.04.2021 को उपस्थित रहें।

एल.एन.मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

एल.एन.मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर